A Fact Finding Report on Trilokpuri Riots

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गनाईजेशन, दिल्ली इकाई

NCHRO

गुजरात दंगे के बाद मुल्क में साम्प्रदायिक दंगों ने अलग रंग ले लिया है। अब दंगे बड़े पैमाने पर करने के बजाये एक छोटे पैमाने पर प्रायोजित तौर पर कराये जाते हैं। उनका फिर पूरे क्षेत्र या राज्य में साम्प्रदायिक माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। हाल में दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुई घटनाएं साम्प्रदायिक नहीं थीं, मगर उनको बाद में साम्प्रदायिक रंग दे दिया गया। इस हालत के लिए सिर्फ एक पार्टी बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। त्रिलोकपुरी में दंगे होने से पहले आप या कांग्रेस को वहां पर सही वक़्त पर हालात संभालने से किसने रोका था? आप पार्टी ने इस मामले में कोई उसूली स्टैंड भी नहीं लिया।

दंगा प्रभावित त्रिलोकपुरी की जांच रिपोर्ट

(फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य : अन्सार इंदौरी, सिद्दीक काप्पन, सुनील कुमार)

जंच की तिथियां : 30, 31 अक्टूबर व 3 नवम्बर।

त्रिलोकपुरी जे.जे.कालोनी को 1976 में दिल्ली के आश्रम, मोतीबाग, धौलाकुंआ, आईएनए, लाजपतनगर, कंचनपुरी इत्यादि इलाकों के झुग्गियों को हटाकर बसाया गया था। त्रिलोकपुरी में 36 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 500 घरों का आवंटन किया गया था। यह इलाका 1984 में प्रभावित रहा है और वहां 250 के करीब सिक्खों की हत्या हुई थी। यहां के विधायक आप पार्टी व सांसद भाजपा के हैं।

22 अक्टूबर, 2014 को त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में कहा–सुनी के बाद हुए झगड़े को साम्प्रदायिक शक्तियों ने अन्य कॉलोनियों में पहुंचाने का काम किया। कहा जा रहा है कि झगड़े की शुरूआत माता की चौकी के पास मांस खाने और शराब पीने से हुई।

20 ब्लॉक में एक सार्वजनिक पार्क (सेंट्रल पार्क) है और सार्वजनिक जगह है जहां पर 20 ब्लॉक का कूड़ा फेंका जाता है। कूड़े फेकने वाली जगह के पास ही 5–6 साल पहले शौचालय हुआ करता था जो अब नहीं है। इस जगह पर एक साल पहले जागरण का आयोजन किया गया था और 31 अक्टूबर को दूसरा जागरण का आयोजन हुआ। पहली बार कूड़े फेंकने वाले स्थान को साफ कर माता की चौकी 37–38 (सवा माह) दिनों के लिए रखा गया।

कॉलोनी में रहने वाले हिन्दू कहते हैं कि रिजवान शराब पीकर माता की चौकी पर पेशाब कर रहे थे, मना करने के बाद गाली–गलौच करने लगे और एक लड़के को थप्पड़ मारा। 20 ब्लॉक में 10–15 नवयुवक खड़े मिले उनसे बात करने पर गौरव तलवार बताते हैं कि समीर जैन गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे और सीक कबाब खा रहे थे। समीर के पास दो सेंट्रो कार टैक्सी नम्बर का है जिसे वह लेकर चला गया। उसके 10–15 मिनट बाद बब्लू के घर से ईंट–पत्थर फेंकने लगे। पुलिस आ गई और कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद बहुत पथराव होने लगा।

गौरव (जिसके नाम से कम्पलेन था) और 5 लोगों (चार हिन्दू, दो मुस्लिम) को पुलिस 24 अक्टूबर को पकड़ कर ले गई थी, लेकिन दो दिन बाद एसएसपी ने दस हजार के मुचलके पर छोड़ दिया। गौरव बताते हैं कि वे और उनके भाई आरएसएस से जुड़े हैं। जब पुलिस पकड़ कर ले गई तो उनके भाई अपने जान–पहचान के ज्वांइट कमिश्नर (गौरव से ज्वांइट सीपी के नाम पूछने पर बताते हैं कि वह दिल्ली के बाहर से हैं... दिमाग पर जोर देते हुए बताते हैं कि राठौर साहब) को फोन किया, जो उस समय

कल्याणपुरी थाने में थे। ज्वांइट कमिश्नर ने गौरव के भाई से कहा कि ''पहले बताये होते तो यहां से ही हो जाता लेकिन अब कलन्दरा (केस रिपोर्ट) बन चुकी है। कोई बात नहीं इतना बड़ा केस नहीं है, एसएसपी साहब जमानत दे देंगे।''

गौरव से पूछा यह मामूली झगड़ा और जगह कैसे फैल गया? गौरव बताते हैं कि इस बार हिन्दुओं मे एकता हो गई। इतनी जल्दी एकता होने से दूसरे दिन ही और ब्लॉकों में पथराव होने लगा। गौरव बताते हैं की ''माता के चौकी के कारण और मौहल्ले से भी दोस्त आते थे। दोस्तों ने 18 ब्लाक में गणेश पूजा रखा था, वहां मैं जाता था, वे भी माता की चौकी रखना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि इस बार हम रखते हैं, अगले साल आप रख लेना। इस एकता के कारण ही यह फैल गया। आज तक तो हम पिटाते ही आये थे।'' दूसरी बात वह बताते हैं कि 27 ब्लॉक के मस्जिद से एलान हुआ कि ''मुसलमान मारे जा रहे हैं, सभी मुसलमान भाई इकट्ठे हो जाओ।'' आगे वह बताते हैं कि 20 ब्लॉक में सेन्ट्रल पार्क है जिसमें बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लेकिन इस पर मुसलमानों का कब्जा होता है, उस पार्क में कोई हिन्दू जा नहीं सकता है। गौरव से हिन्दू–मुसलमान की संख्या पूछने पर बताते हैं कि 65 प्रतिशत हिन्दू और 35 प्रतिशत मुसलमान हैं। वह अपने को अल्पसंख्यक बताते हैं और कहते हैं कि इस ब्लॉक में पंजाबियों के 8 घर हैं।

27 सेक्टर में 95–96 प्रतिशत मुसलमान है। 27 सेक्टर मार्केट में और दूसरी तरफ 27 और 35 (इन दोनों ब्लॉकों के बीच में सड़क है) ब्लॉक की सड़क पर 24 अक्टूबर की शाम और 25 अक्टूबर को भारी पथराव हुआ। बब्बी 35 ब्लॉक में रहते हैं। वह पहली मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं और नीचे प्रकाश स्टोर के नाम से किराने की दुकान चलाते हैं। बताते हैं कि 28 ब्लॉक और 27 ब्लॉक में ईंट पत्थर चले। 27 ब्लॉक वाले नाले पर रखे हुए पत्थरों को तोड़कर चला रहे थे और 28 ब्लॉक कहां से लाये थे पता नहीं। कुछ पत्थर मेरे दुकान पर भी लगे। हम डर से छुपकर घर के अंदर थे, बाहर देख भी नहीं रहे थे। 6 दिन दुकानें बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है।

27 सेक्टर के इसरार खां पठान जाति से है और उनकी उम्र 60 साल है। इसरार डेसू (दिल्ली का बिजली विभाग) में नौकरी करते थे और उन्होंने 2005 में वालंटरी रिटायरमेंट (स्वैच्छिक सेवानिवृति) लेकर कपड़े की दुकान की। अभी उनकी कपड़े और जूते की तीन मंजिला दुकान थी, जिसमें उनके दोनों लड़के और 8 कर्मचारी काम करते थे। इसरार खां की दुकान को 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे जला दी गई। इसरार खां अभी तक की अपनी पूरी कमाई और बाजार से 40 लाख रुपये का उधार लेकर माल लगाये थे– जो कि करीब 80 लाख रुपये का था, सभी जल गया। उनकी दुकान का कोई जीवन बीमा नहीं है। इसरार खां बताते हैं कि पुलिस थोड़ी ही दूरी पर बैठी थी, लेकिन उसने किसी तरह की कोई सहायता नहीं की। दमकल की गाड़ी दो घंटे बाद पहुंची, जब कि उनके दुकान के दोनों तरफ दमकल केन्द्र हैं, जिनकी दूरी

लगभग 2–3 कि.मी. है। इसरार खां ने रिर्पोट लिखवाने की भी कोशिश की लेकिन उनका रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। एसएचओ ने कहा कि हम इसे बलवा में ही दर्ज कर लेंगे। इसरार ने अपनी शिकायत डीसीपी और अन्य अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड डाक से भेजी है, जिसमें भाजपा के लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन पुलिस ने उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

गुंटू खां 55 वर्ष के हैं और मंसूरी जाति से हैं। गुंटू ब्लॉक 27 में रहते हैं और 28 ब्लॉक में उनकी दुकानें हैं– एक कबाड़ी की दुकान व दूसरी बर्तन की दुकान। गुंटू खां की कबाड़ी की दुकान में 26 अक्टूबर को रात दो बजे आग लगा दी गई, जबकि बर्तन की दुकान के ताले तोड़कर लूटने की कोशिश की गई। गुंटू खां बताते हैं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ ने दर्ज नहीं की।

27 सेक्टर में रहने वाली मीना देवी यहां 40 साल से रह रही हैं। उनकी दो लड़की और एक लड़का है। सभी यहीं पर पले–बढ़े हैं। बेटा प्रेम प्रकाश, लक्ष्मीनगर में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और मुहल्ले में भी किसी के बुलाने पर काम करने चले जाते हैं। इनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उनसे जब पूछा गया कि कभी वह ऐसा माहौल देखी थी? मीना देवी याद करते हुए बताती हैं कि इन्दिरा की हत्या (1984) के समय ऐसा हुआ था उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। हम हिन्दू–मुस्लिम सभी एक साथ शांति से रहते हैं।

मुन्नी देवी 1980 से यहां रह रही हैं वह महिलाओं के गारमेंटस साप्ताहिक बाजार में बेचा करती हैं। उनके पति पांडव नगर में सिलाई का काम करते हैं। मुन्नी देवी की 3 लड़की और एक लड़का है जो कि 12, 10, 9, एवं 5 क्लास में पढ़ते हैं। मुन्नी बताती हैं कि अभी तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। सभी परिवार शांतिपूर्वक रहते थे। इस बार ही इस तरह के लड़ाई–झगड़े हुए हैं जिसके कारण दुकानें नहीं लग पा रही हैं और पति भी 3 दिन काम पर नहीं जा सके।

हम लोगों की मुलाकात कुछ स्वयंसेवी लोगों से हुई, जो कि हिन्दू–मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग हिन्दू–मुस्लिम की मीटिंग करने वाले हैं। बाद में कुछ लोगों से पता चला कि यह मीटिंग त्रिलोकपुरी थाने में होगी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो थाने के ड्युटी अफसर ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया।

थाने के बाहर कान्ता मेहरा की चाय की दुकान हैं जो कि त्रिलोकपुरी के 26 नम्बर ब्लॉक में रहती हैं। कान्ता जी की झुग्गी आईएनए में थी। कान्ता मेहरा का परिवार भारत–पाक बंटवारे के समय पाकिस्तान के लाहौर से आया था। उनके पति हंस राज मेहरा भी यहां चा,य बेचा करते थे। कान्ता बताती है कि 1984 के बाद यहां कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब शांत था। कर्फ्यू लगने के कारण मैं दुकान नहीं खोल पाती थी लेकिन जब भूखे रहने की नौबत आई तो दुकान खोल दी। यहीं पर हमारी मुलाकात 35 साल से 27 ब्लॉक

में रहने वाले पलटन जी से हुई। वह डेसू से रिटायरमेंट हुए हैं। पलटन जी ने बताया कि वह अपनी गली में इकलौता हिन्दू हैं, लेकिन कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि वह मुसलमान के मुहल्ले में रहते हैं। हम एक दूसरे के त्यौहारों को मनाते थे। हमारे बच्चों के शादी–विवाह में सभी मुसलमान भाई शामिल होते थे और हम धूम–धाम से शादी करते थे। 1984 के समय ही बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद छिट–पुट, छोटे झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन वह भी 10–15 साल से नहीं हो रहा था।

15 ब्लॉक में 80 प्रतिशत मुसलमान और 20 प्रतिशत हिन्दू हैं। इस ब्लॉक में 1 मस्जिद और 3 मंदिर है। इस ब्लॉक में काफी पथराव हुआ है और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इस ब्लॉक से कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो मुस्लिम हैं। शबाना के भाई के लड़के का अकीका (बच्चे पैदा होने के 7 दिनों के अन्दर दी जाने वाली दावत) था। लेकिन दंगे हो जाने के कारण नहीं हो पाया। घर में घुसकर पुलिस बिलाल (19), इरफान (32), अजहर (19), साजिद (35) को गिरफ्तार कर ले गई। इनको पुलिस, कस्टडी में बुरी तरह मारा–पीटा गया है जिससे बिलाल की दो उंगली, इरफान का हाथ, साजिद का गट्टा टूट गया है। शबाना बताती हैं कि थाने में उनसे मुलकात नहीं करने दिया गया, वह तिहाड़ जा कर इन लोगों से मिली हैं। इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने 27 ब्लॉक से दिखायी है।

मुहम्मद शमशाद 15 ब्लॉक में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने फोन से पुलिस को 25–30 बार फोन किया लेकिन पुलिस फोन नहीं उठा रही थी। अलीमुद्दीन जो कि 15 ब्लॉक से ही हैं और बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ई रिक्शा चलाकर परिवार चलाते हैं। पुलिस ने उनको बुरी तरह से पीटा है जिससे कि उनके शरीर के कई हिस्सों पर काले दाग हो गये हैं। वह बताते हैं कि उनके मोहल्ले के चारों तरफ से बाहरी लोग आकर ईंट–पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन आ नहीं रही थी। जब मुहल्ले के लोगों ने एसीपी को बताया तब वह फोर्स लेकर आये।

मुहम्मद अख्तर परिवार के साथ 15 ब्लॉक में रहते हैं और मोटर मेकैनिक का काम करते हैं। पुलिस उनको 2 से 2.30 बजे के बीच पकड़ कर ले गई। अख्तर के हाथ और कमर में चोट लगी हुई है। उनके चार बच्चे हैं और उनकी पत्नी दूसरे से पैसा मांग कर तिहाड़ जेल में मिलने गई थी। इनके घर के पास से ही एक ऐसे लड़के को पुलिस ने गिरफ़्तार किया जो मुहल्ले का नहीं है, वह कार्ड बांटने के लिए आया था। इसी तरह मुहम्मद खुर्शीद (60) व उनके बेटा जाबिर (17) को पुलिस पकड़ कर ले गई। खुर्शीद बाजार में कपड़े बेचने का काम करते थे।

15 ब्लॉक में रामजन मिश्रा रहते हैं, वह डेसू से रिटायर हुए हैं। ब्लॉक के लोग उनको पंडित जी कहते हैं। दंगाईं जब उनकी गली में पत्थर फेंकने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने गली का गेट बंद कर दिया और

दंगाईयों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये कि पहले हमें मारो, फिर आगे जाना। इस तरह पंडित जी ने अपनी गली की रक्षा की, जो कि मुहल्ले वालों में भी चर्चा का विषय है। पंडित जी से जब पूछा गया क्या वह दंगाईयों को पहचानते हैं? उनका कहना था कि कोई पास का होगा तभी तो आप पहचान पायेंगे, सभी लोग बाहर (दूसरे ब्लॉक) के थे।

15 ब्लॉक के लोगों का कहना है कि उनके ब्लॉक को चारों तरफ से घेर कर दूसरे लोग ईंट–पत्थर चला रहे थे, जिसकी अगुवाई 14 ब्लॉक का अशोक कर रहा था। अशोक गाड़ियों का काम करता है।

20 ब्लॉक में रहने वाली नफीसा बेवा हैं और अपने बच्चों का पालन–पोषण पोलिथीन बेच कर करती हैं। नफीसा 23 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब घर आ रही थी। उस समय ईंट–पत्थर चल रहे थे, जिससे कि उनको चोट लगी। बाद में पुलिस की पिटाई में उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है।

मोहम्मद मोहसिन (22), पुत्र मोहम्मद रईस 20 ब्लाक में रहते हैं और गाड़ी पैन्ट का काम करते हैं। मोहसिन की 7 माह पहले शादी हुई थी, वह मेरठ ससुराल से घर आ रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। परिवार वालों से थाने में नहीं मिलने दिया गया। तिहाड़ में घर वाले मिलने गये थे, उसके दोनों हाथ में चोटें आयी हुई हैं।

सोनू (20), पुत्र खुर्शीद अंडे की दुकान करता है। पुलिस ने उसे मस्जिद से गिरफ़्तार किया। उसकी वहीं पर इतनी अत्यधिक पिटाई हुई कि वह बेहोश हो गया था। सोनू की अभी नई शादी हुई थी जिसका वलीमा था।

20 ब्लॉक में रहने वाली वहीदन (70) सब्जी बेचती हैं। वह साफ नहीं बोल पाती हैं और उम्र अधिक होने के कारण तेज भी नहीं चल सकती हैं। उनके घर 410 में जाकर पुलिस ने पिटाई की और समान को भी तोड़ दिया। जब उनकी बहु ने मना किया तो पुलिस (5 पुरुष, 3 महिला पुलिस) ने दोबारा जाकर उनकी बहु की पिटाई की।

20 ब्लॉक में रहने वाली संगीता कहती हैं ''यहां चौकी रखने पर मुसलमान लोगों ने एतराज जताया। हम लोगों ने माता जी की चौकी रखने के लिए सफाई की और चौकी रखने का प्लान बनाया, जिससे यहां सफाई रहे। कूड़े जब उठते थे तो बहुत ही बदबू आती थी और बारिस के मौसम में कीड़े हो जाते थे। पास में ही बजरंग बली की मूर्त्ति है। मुस्लिम लोग ईद–बकरीद में भैंसे खाते हैं और यहां जान बूझ कर उसकी गंदगी फेंक देते हैं जिससे कि हम लोग चिढ़े। दूसरे तरफ की मुस्लिम औरतें आई थीं और बोल रही थीं कि यहां चौकी रखी गई तो हम चौरासी याद दिला देंगे। मुस्लिम लड़कों ने तीन फायर किये थे जिसमें से दो को गिरफ़्तार किया है और एक भाग गया। हमारी गली की रिजवान शराब पिया हुआ था और मीट

खाया था। वह हमारे मंदिर को छूने जा रहा था और गाली दे रहा था। चौकी रखने वाले लड़कों के साथ उसकी धक्का–मुक्की हो गई। एक 15 साल के बच्चे को पीट दिया जिसके बाद हम लोगों ने भी बोला। उसके बाद उनकी पत्नी आई और लेकर चली गई। 100 नं. पर फोन किया गया। पुलिस आई और समझौता करा दिया और चली गई। कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की। मुसलमानों की छतों से ईंट और बोतल मिली, इनकी पूरी प्लानिंग थी। हम तो इनके नमाज के समय अपनी लाउडस्पीकर बंद कर दिया करते थे।''

दीपू की पत्नी मोना के हाथ में फ्रैक्चर है। यह पूछने पर कि हाथ में चोट कैसे लगी है? तो वे बताती हैं कि पथराव के समय चोट लगी थी। संगीता ने बताया कि पूर्व विधायक सुनील वैद्य और रामचन्द्र गुजराती आये थे और उन्होंने ही हमारी मद्द की। आज जागरण के दिन (31 अक्टूबर) आप पार्टी के वर्तमान विधायक आये थे जिसको हम लोगों ने भगा दिया। संगीता और मोनू बताती हैं कि ''बचपन से हम लोग पिटते ही आये हैं, कभी आवाज़ नहीं उठी लेकिन इस बार माता की चौकी पर आवाज़ उठी है।''

एक विडियो क्लिपिंग में 'बम बम भोले, हर हर महादेव, वाल्मीकि शक्ति अमर रहें' के नारे लग रहे हैं, जिसमें 300–400 नवयुवक हैं। यह नवयुवकों का जमावड़ा वाल्मीकि मन्दिर के पीछे भूतपूर्व विधायक सुनील वैद्य के घर से 50 मीटर की दूरी पर हुआ। (इस जगह पर विश्व हिन्दू परिषद् व बजरंग दल के नाम से एक होर्डिंग लगी हुई है जो कि विश्व हिन्दू परिषद् के पचास साल पूरे होने पर 17 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व अखड़ा पद्रर्शन की जानकारी देने के लिए लगी हुई है। इस प्रदर्शन का आरंभ त्रिलोकपुरी 1 ब्लॉक से शुरू होकर त्रिलोकपुरी के 36 ब्लॉक के दुर्गा मन्दिर पर समाप्त होना लिखा हुआ है।) इस जमावड़े में सुनील वैद्य पहुंचते हैं और मुश्किल से 25–30 सेकेंड रूकते हैं, उसी समय एक फोन आता है जिस पर कुछ बात करते हैं और 7–8 सेकेंड कुछ बोलते हैं (सुनील वैद्य की कोई भी आवाज विडियो में स्पष्ट नहीं है क्योंकि वहां शोर बहुत हो रहा है) और चले जाते हैं।

दूसरे विडियो क्लिपिंग में 150–200 नवयुवक (एक–दो के हाथ में डंडे और कुछ माथे पर तिलक लगाए तलवार लिए हुए दिख रहे हैं) 'पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की मां की.....' कहते हुए सड़क पर इधर उधर दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं।

निष्कर्ष :

गुजरात दंगे के बाद मुल्क में साम्प्रदायिक दंगों ने अलग रंग ले लिया है। अब दंगे बड़े पैमाने पर करने के बजाये एक छोटे पैमाने पर प्रायोजित तौर पर कराये जाते हैं। उनका फिर पूरे क्षेत्र या राज्य में साम्प्रदायिक माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। हाल में दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुई घटनाएं साम्प्रदायिक नहीं थीं, मगर उनको बाद में साम्प्रदायिक रंग दे दिया गया। इस हालत के लिए सिर्फ एक पार्टी बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। त्रिलोकपुरी में दंगे होने से पहले आप या कांग्रेस को वहां पर सही वक़्त पर हालात संभालने से किसने रोका था? आप पार्टी ने इस मामले में कोई उसूली स्टैंड भी नहीं लिया।

हमारा निष्कर्ष है–

- 20 ब्लॉक के झगड़े को सुनियोजित तरीके से दूसरे ब्लॉकों में पहुंचाया गया।
- जन प्रतिनिधि (सांसद, विधायक, निगम पार्षद) ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे।
- सुनील वैद्य ने अपने घर के पास मीटिंग की जिसमें वह बहुत कम समय के लिए आये, जहां भीड़ उन्मादी स्लोगन लगा रही थी। इतने कम समय में भीड़ को भड़काया ही जा सकता है।
- 20 ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक के हिन्दू–मुस्लिम एक दूसरे पर पत्थर नहीं चलाये हैं।
- पत्थरबाजी दूसरे ब्लॉक के या बाहर से आये हुए लोगों द्वारा किया गया है।
- मुसलमानों की दुकानें जलाने का काम साजिश और तैयारी की साथ किया गया।
- पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और उनकी भूमिका भी संदिग्ध रही।
- इलाके में विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल पहले से सक्रिय थे।
- अधिकांश बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पुलिस हिरासत में गैर कानूनी पिटाई की गई।

हमारी मांगे

1. त्रिलोकपुरी दंगे की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाये।
2. गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाये और उनके परिवार को मुआवाजा दिया जाये।
3. जली हुई दुकानों का एफ.आई.आर. दर्ज हो और उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाये।
4. सुनील वैद्य मिटिंग किसलिए किये हैं और उसमें सुनील वैद्य ने क्या बोला है इसकी जांच की जाये।
5. विडियो लिंक को देखा जाये और दंगाईयों को पहचान कर उन्हें सख्त सजा दी जाये।
6. ज्वांइट कमिश्नर राठौर कौन हैं, जिनका जिक्र गौरव तलवार ने अपनी बातचीत में किया है। इसकी भूमिका की जांच कराई जाये।
7. पुलिस–प्रशासन की लापरवाही की जांच की जाये और उनके लापरवाह पदाधिकारियों को उचित सजा दी जाये।

नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईटस आर्गनाईजेशन

(दिल्ली इकाई)

Add: N-44- Hilal Homes, 2nd Stage, Ground Floor, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi -110025

w w w. n c h r o . o r g